न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
रा.पत्र संख्या ~~2431/2010~~ 81/23

प्रार्थी
1–पुरूषोतमसिंह पुत्र दातारसिंह जाति राजपूत
निवासी थांवला तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

प्रतिवादीगण :–
1–दिलीपसिंह पुत्र दातारसिंह
2–मगनकंवर पत्नी दातारसिंह
3–उमा शेखावत पुत्री दातारसिंहस
4–सुमन राजपूत पुत्री दातारसिंह
सभी जातियान राजपूत निवासीगण थांवला तहसील रियांबड़ी
5–व्यवस्थापक यूको बैंक शाखा थांवला
6–पटवारी हलका थांवला
7–पटवारी हलका बाडीघाटी
8–तहसीलदार रियांबड़ी।

वकील प्रार्थी :– श्री चेनाराम गुगरवाल
वकील अप्रार्थीगण :– श्री अर्जुनपुरी गौस्वामी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 22/3/24

प्रार्थी निम्न प्रार्थना पत्र पेश करता है :–

1–यह है कि प्रार्थी ने अनुवान सदर का वाद व प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है जो बहुत ही मजबूत बिनाय पर आधारित है। जिसमें प्रार्थी को कामयाबी मिलने की पूरी पूरी आशा है।

2–यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1,3,4 सगे भाई–बहन है तथा अप्रार्थी संख्या 2 इनकी माता है तथा सभी दातारसिंह,भीमसिंह व अर्जुनसिंह के वारिसान है तथा सभी हिन्दु है व हिन्दु उतराधिकार अधिनियम से गर्वन होते है। जिनकी सिजरा खानदान निम्न है।

भीमसिंह — दातारसिंह — अर्जुनसिंह

मगनकंवर दिलीपसिंह पुरूषोतमसिंह उमाकंवर सुमनकंवर

3–यह है कि मौजा थांवला के खसरा नंब 424 रकबा 8 बिश्वा,खसरा नंबर 425 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा,खसरा नंबर 426 रकबा 5 बिस्वा,खसरा नंबर 427 रकबा 4 बिस्वा,खसरा नंबर 428 रकबा 4 बिस्वा,खसरा नंबर 429 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा,

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला नागौर

430 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा,खसरा नंबर 654 व 655 रकबा 13 बिस्वा,खसरा नंबर 2082 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा,खसरा नंबर 2083 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा,खसरा नंबर 2084 रकबा 22 बीघा 10 बिसवा,खसरा नंबर 711 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 713 रकबा 60 बीघा 5 बिस्वा,खसरा नंबर 2092 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा,खसरा नंबर 2094 रकबा 34 बीघा 5 बिस्वा,खसरा नंबर 2095 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा,खसरा नंबर 2087 रकबा 9 बिस्वा,खसरा नंबर 2213,2214,2219, रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा,खसरा नंबर 2093 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा की भूमि इनके अलावा और खसरान की भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि अर्थात भीमसिंह व अर्जुनसिंह व इनके पूर्वजो की खातेदारी की भूमि आयी हुई है। उक्त खसरान की भूमि अविभाजित है। संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी के दादा भीमसिंह बहुत ही समझदार होशियार व्यक्ति थे। तथा गांव के प्रतिष्ठित परिवार था। भीमसिंह के छोटे भाई अर्जुनसिंह के कोई जायन्दा संतान नहीं थी। इस वजह से प्रार्थी के पिता दातारसिंह को प्रार्थी के दादा द्वारा अर्जुनसिंह गोद पुत्र बता दिया गया। इस वजह से अर्जुनसिंह की खातेदारी भूमि में सें काफी भूमि दातारसिंह गोद पुत्र अर्जुनसिंह दर्ज है। तथा कुछ जमीन दातारसिंह पुत्र अर्जुनसिंह दर्ज है। इस प्रकार अर्जुनसिंह के स्वर्गवास के बाद उतराधिकारी का नामान्तकरण दातारसिंह के नाम दर्ज हो जाने की वजह से प्रार्थी के दादा भीमसिंह ने अपनी चतुराई के कारण व भीमसिंह जी जमीन को लेकर अन्य वारिसान विवाद नहीं करें,इस वजह से बेनामी ट्रासफर कुछ जमीन की प्रार्थी की माता मगनकंवर व कुड जमीन प्रार्थी के बड़े भाई दिलीपसिंह के नाम दर्ज करवा दी। मगर उक्त खसरान की भूमि यानि भीमसिंह व अर्जुनसिंह की जमीन पर प्रार्थी के पिता दातारसिंह का काश्त व कब्जा था। दातारसिंह के साथ साथ प्रार्थी का ही काश्त व कब्जा था तथा संयुक्त रूप से काश्त व काबिज चले आ रहे है। खेत का सारा कार्य प्रार्थी ही अपने पिता व दादा के साथ करता आ रहा है। इस वजह से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तीनों का संयुक्त हिन्दु परिवार है। संयुक्त हिन्दु परिवार का जब पारिवारिक समझौता पत्र लिखा गया,तब स्व.अर्जुनसिंह व भीमसिंह दोनो की खातेदारी की जमीन पैतृक मानकर स्व.दातारसिंह की खातेदारी भूमि मानकर पारिवारिक समझौता पत्र लिखा गया। इस प्रकार उपर बतायी खसरान की भूमि जो वर्तमान में अब प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम पैतृक भूमि होते हुए भी अलग अलग खातेदारी का ईन्द्राज चला आ रहा है।

यह है कि उक्त खसरान की भूमि पैतृक है। मगर खातेदारी में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम होने से अब प्रार्थीगण के मन में बदयान्ति आ गई है। खातेदारी की आड में प्रार्थी को उनके हक व अधिकारो से वंचित रखना चाहते है। क्योंकि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 1/2–1/2 हिस्सा पर संयुक्त रूप से काश्त काबिज है। पारिवारिक समझोता से भी प्रार्थी व अप्रार्थी पाबंद है।

प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष है वादग्रस्त खसरान की भूमि पर माफिक समझौता पत्र प्रार्थी का शांतिपूर्वक कब्जा उपयोग व उपभोग चला आ रहा है। जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है मगर अप्रार्थीगण गलत व नाजायज तरीके से प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल कर रहे है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को जबाब हेतू जरिये नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर

अर्जुनपुरी गोस्वामी ने वकालतनामा व जबाब पेश किया गया। वकील अप्रार्थी ने अपने जबाब में बताया गया कि प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 1 अस्वीकार है। प्रार्थी ने पेरा संख्या 2 कुछ हद तक सही है। परंतु अर्जुनसिंह जी के दातारसिंह गोद गये हुए है। एंव भीमसिंह जी ने अपनी जायदाद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को वसीयत एंव बख्शीस कर दी थी। मौजा थांवला की वादग्रस्त भूमि भीमसिंह जी की खातेदारी की थी। जिसको अप्रार्थी संख्या 2 को बख्शीश की थी तथा बाडीघाटी के वादग्रस्त खसरा भी भीमसिंह जी की खातेदारी का था। जो दिलीपसिंह अप्रार्थी को वसीयत कर दी गई थी। खसरा नंबर 2995 अविभाजित है। स्व.दातारसिंह की खातेदारी भूमि में सभी का समान हक व हिस्सा है। समझौता पत्र लिखा गया था उसको प्रार्थी ने खारिज कर दिया गया था क्योंकि समझौता पत्र का पालन नहीं किया गया था। खसरा नंबर 2994 रकबा 6.1300 हैक्टर स्व.दातरसिंह जी की खातेदारी का था उसके फौत होने पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नामान्तकरण दर्ज हुआ। उसी हिस्सा अनुसार काश्त व काबिज है। पैरा में बकया खसरा भीमसिंह जी की खातेदारी के है। जो भीमसिंह ने अपने जीवन काल में ही अप्रार्थी संख्या 1 दिलीपसिंह को वसीयत कर दी एंव अप्रार्थी संख्या 2 को बख्शीश में दे दी थी। प्रार्थी ने पैतृक भूमि बताकर वाद पेश किया है जो गलत है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त आराजी बख्शीश व वसीयत से प्राप्त हुई है। केवल मात्र 2994 की भूमि ही पैतृक है बकाया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि है। जिनमें प्रार्थी कोई हक व बंट का अधिकारी नहीं है।

अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है न ही प्रार्थी का विवादित खसरान की भूमि पर किसी प्रकार का कोई काश्त व कब्जा है,जिससे प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलसन होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जबकि विवादित खसरान की भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जरिये वसीयत व बख्शीश के प्राप्त हुई है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का काश्त व कब्जा है। प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने का प्रश्न ही नहीं है। बल्कि उपरोक्त कारणो से प्रार्थी के गलत व नाजायज एक्ट से अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया गया कि वादग्रस्त आराजी में समझौता पत्र के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 का 1/2–1/2 हिस्सा में काश्त व कब्जा है। इस प्रकार दिलीपसिंह व मगनकंवर के नाम वसीयतनामा व बख्सीसनाम जो पैतृक भूमि का तकमील करवाया गया जो प्रार्थी के हक व अधिकारो के खिलाफ प्रभावहीन व शुन्य है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी के बंट का होना व कब्जा होना भी पारिवारिक समझौता पत्र में स्वीकार किया है। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है मगर खातेदारी में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने अपनी बहस में बताया गया कि वादग्रस्त भूमि में सें खसरा नंबर 2994 रकबा 6.1300 हैक्टर की भूमि पैतृक भूमि है जो पूर्व में दातारसिंह जी की खातेदारी की थी। उनके देहान्त उपरांत उनके विधिक वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम नामान्तकरण दर्ज हुआ। इनके अलावा वादग्रस्त भूमि मौजा थांवला व बाडीघाटी में जो स्थित है वह अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बख्शीश व वसीयत से प्राप्त सुदा भूमि है जिसमें प्रार्थी को कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच जो समझौता पत्र निष्पादित हुआ

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी

उसको प्रार्थी स्वंय ने ही खारिज कर दिया गया था। वसीयत व बख्सीस से प्राप्त भूमि में प्रार्थी का कोई बंट व अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड यथा जमाबंदिया मौजा थांवला व बाडीघाटी व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि मौजा थांवला के खसरा नंबर 2994 रकबा 6.1300 हैक्टर की भूमि पूर्व में स्व. दातारसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज थी उनके देहान्त के उपरांत उनके विधिक वारिसान के नाम विरासत का नामान्तकरण दर्ज हुआ जिसके कारण प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम हक हिस्सा दर्ज है। बकाया थांवला के वादग्रस्त खसरान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। अगर उक्त भूमि स्व. दातारसिंह के नाम दर्ज होती तो उनके वारिसान के नाम दर्ज होती। बाडीघाटी के खसरा नंबर 165 व 166 भीमसिंह पुत्र उदयसिंह के नाम दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। मौजा थांवला के बकाया खसरा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। जिससे विदित होता है कि भूमि वसीयत या वख्सीश से प्राप्त हुई। जिसमें प्रार्थी का कोई हक बंट व अधिकार नहीं है। पारिवारिक समझौता जो लिखा गया था उसको प्रार्थी द्वारा पालना नहीं की गई। उसको स्वीकार नहीं किया गया।

अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि पर काश्त व कब्जा उनका चला आ रहा है। वह रेकोर्डेड खातेदार है। किसी रेकार्डेड खातेदार के विरूध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में उचित प्रतीत होते है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उनके खातेदारी सुदा भूमि से बेदखल व दखलदांजी प्रार्थी द्वारा की जावेगी तो अप्रार्थीगणो को अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत न होकर अप्रार्थीगणो के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट का खारिज किया जाता है। तथा पूर्व आदेश दिनांक 09.06.2023 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/3/24.....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर